

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.184)/जविप्रा/जे.सी. (एस.एम.)/2014/डी- २०७

दिनांक: 14/2/14

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 184वीं बैठक दिनांक 12.02.2014 का कार्यवाही विवरण

क्र.सं.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
1.	184.1	कार्यकारी समिति की 183वीं बैठक दिनांक 23.09.2013 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	कार्यकारी समिति की 183वीं बैठक दिनांक 23.09.2013 के कार्यवाही विवरण की निम्न संशोधनों के साथ पुष्टि की गयी :- 1. कार्यकारी समिति की 183वीं बैठक के निर्णय संख्या 183:3 में संबंधित अधिकारी के कॉलम में अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) एवं सिस्टम एनालिस्ट के स्थान पर संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय) पढ़ा जावे। इस हेतु जारी शुद्धि-पत्र क्रमांक जविप्रा/सं.आ./सि.मै./2013/डी-1370 दिनांक 22.11.2013 की कार्योत्तर पुष्टि की गयी। 2. कार्यकारी समिति की 183वीं बैठक के निर्णय संख्या 183:43 में लिये गये निर्णय में अंकित क्षेत्राधिकार में नवीन जोन-10ए के अंकित क्षेत्र में जोन-10ए के स्थान पर जोन-10, नवीन जोन-12बी के अंकित क्षेत्राधिकार में जोन-13ए के स्थान पर जोन-13 तथा नवीन जोन-13 के अंकित क्षेत्राधिकार में जोन-10ए के स्थान पर जोन-10 अंकित किया जावे।	
2.	184.2	कार्यकारी समिति की 183वीं बैठक दिनांक 23.09.2013 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	कार्यकारी समिति की 183वीं बैठक दिनांक 23.09.2013 में लिए गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया।	
3.	184.3	सहायक नगर नियोजक पद के सेवा विनियमों के प्रावधानों में संशोधन बाबत।	विचार विमर्श पश्चात सहायक नगर नियोजक पद के सेवा विनियमों के प्रावधानों में संशोधन के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि जविप्रा सेवा विनियमों में सहायक नगर नियोजक पद के संबंध में संशोधन करने के स्थान पर समयबद्ध	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

538

			रूप से इन पदों पर सीधी भर्ती किये जाने की कार्यवाही की जावे।	
4.	184.4	दिनांक 26.09.2013 को नीलामी में क्रय किये गये रोहिणी नगर फेज प्रथम योजना के भूखण्ड संख्या 288 के पेटे विलम्ब से जमा राशि की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु।	विचार विमर्श पश्चात श्री विनीत भम्भानी द्वारा भू-खण्ड संख्या 288, रोहिणी नगर फेज प्रथम की नीलामी के पेटे 10 प्रतिशत राशि में रुपये 3,000/- कम जमा राशि को मानवीय भूल मानते हुए विलम्ब से जमा राशि बाबत की गई कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।	निदेशक (वित्त)
5.	184.5	प्राधिकरण में वरिष्ठ लिफ्ट ऑपरेटर एवं लिफ्ट ऑपरेटर के नवीन पद सृजित किये जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात प्राधिकरण में वरिष्ठ लिफ्ट ऑपरेटर का एक नवीन पद एवं लिफ्ट ऑपरेटर के दो नवीन पद सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
6.	184.6	ग्राम-राजारामपुरा, तहसील-आमेर में सृजित जविप्रा की आवासीय/ संस्थानिक योजना की आवासीय आरक्षित दर निर्धारण हेतु।	विचार विमर्श पश्चात ग्राम- राजारामपुरा, तहसील- आमेर में सृजित जविप्रा की आवासीय/ संस्थानिक योजना की आरक्षित दर एजेण्डा में अंकित प्रस्ताव अनुसार रुपये 10,850/- प्रति वर्ग मीटर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। उपरोक्त एजेण्डा पर विचार करते समय यह भी निगूर्य लिया गया कि आरक्षित दर की गणना करते समय व्यवहारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक लागत (30%) को मास्टर प्लान 2025 में दर्शाये गये U-1, U-2, U-3 क्षेत्र के अनुसार क्रमशः 30%, 20% तथा 15% किये जाने के लिए नियमों में संशोधन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को विचारार्थ भेजा जावे जिससे अविकसित क्षेत्रों में असामान्य आरक्षित दर के कारण आवंटन/नीलामी में व्यवधान ना रहे।	उपायुक्त जोन-13  निदेशक (वित्त)
7.	184.7	जेडीए में प्रवर्तन कार्य हेतु 18 प्रवर्तन अधिकारी (पुलिस निरीक्षक) 20 हैड कांस्टेबल एवं 80 कांस्टेबलों के पदस्थापन बाबत गृह विभाग को लिखे गये पत्र की कार्योत्तर पृष्टि बाबत।	विचार विमर्श पश्चात जेडीए में प्रवर्तन कार्य हेतु 18 प्रवर्तन अधिकारी (पुलिस निरीक्षक), 20 हैड कांस्टेबल एवं 80 कांस्टेबलों के पदस्थापन बाबत गृह विभाग को लिखे गये पत्र क्रमांक जविप्रा/नि.सं./मु.प्रनि./2013/ डी-3819 दिनांक 27.11.2013 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।	मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन)

8.	184.8	पुलिस निरीक्षक गण को मासिक मैस भत्ते की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत पुलिस निरीक्षको को मासिक मैस भत्ता दिये जाने के संबंध में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक प.14(18)जविप्रा/संस्था/13 दिनांक 22.11.2013 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
9.	184.9	प्राधिकरण सेवा विनियमों में आमेलन के प्रावधान प्रतिस्थापित किये जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि श्री सुखराम विश्णोई, कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) की सेवायें जयपुर विकास प्राधिकरण में आमेलन के संबंध में नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.1(15) नविवि/TT/07 दिनांक 05.10.10 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है, अतः इस आमेलन को अपवाद (EXCEPTION) मानते हुये स्वीकृति प्रदान की गयी। इस क्रम में प्राधिकरण के सेवा विनियमों में आमेलन के नये प्रावधानों को सम्मिलित किये जाने की एजेण्डा नोट में दिये गये प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
10.	184.10	Development works in Secror-37, Zone-9 area, JDA, Jaipur (Phase-II)	कार्यकारी समिति में निविदा अनुमोदन हेतु विचार विमर्श पश्चात मैसर्स देवी कन्सट्रक्शन के पक्ष में न्यूनतम दर 21 प्रतिशत अधिक बीएसआर 2012 पर कुल राशि रूपये 4,25,23,118.00 हेतु निविदा स्वीकृत की किये जाने का निर्णय लिया गया। कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से जारी होने की प्रत्याशा (anticipation) में कार्यादेश शीघ्र जारी करने की अनुमति प्रदान की गई।	निदेशक अभियान्त्रिकी (प्रथम)
11.	184.11	Approval of tender for the work "Construction of W.B.M. road in PAP area of Ring Road Zone-9, Jaipur. (Rate Contract)	अधिसाषी अभियंता-रिंग रोड द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विस्तृत विचार विमर्श पश्चात संदर्भित कार्य की दर संविदा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियान्त्रिकी (प्रथम)
12.	184.12	प्राधिकरण के कार्मिक को स्टेशनरी भत्ता स्वीकृत किये जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात प्राधिकरण के कार्मिको को स्टेशनरी भत्ता स्वीकृत किये जाने बाबत प्रस्ताव को स्थगित किया गया। इस प्रस्ताव के संबंध में सम्पूर्ण वित्तीय एवं प्रशासनिक पहलुओं का आंकलन करते हुये प्रस्ताव पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किए गए।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)

  
सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



13.	184.13	प्राधिकरण में पदस्थापित सहायक लोक अभियोजक- प्रथम को वर्दी भत्ता स्वीकृत किये जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित दो सहायक लोक अभियोजक- प्रथम को वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये वर्दी भत्ते की राशि रुपये 2,250/- (प्रत्येक को) दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
14.	184.14	मंत्रालयिक सेवा एवं लेखा सेवा मे राज्य सरकार में विद्यमान पदनाम के अनुरूप जेडीए मे पदनाम परिवर्तन किये जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात मंत्रालयिक सेवा एवं लेखा सेवा मे राज्य सरकार में विद्यमान पदनाम के अनुरूप जेडीए मे पदनाम परिवर्तन किये जाने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्त) विनियम, 1984 में प्रस्ताव अनुसार पदनामों में परिवर्तन किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए यह निर्णय लिया गया कि क्योंकि यह प्रकरण विनियमों में संशोधन से संबंधित है अतः इसे स्वीकृति हेतु प्राधिकरण की उच्चाधिकार समिति (Authority) की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
15.	184.15	Construction on drain and other related works under master drainage plan of Jaipur city (Collectrate Circle, Khasa Kothi, Agra road ) part A3 (From Kabeer Marg to Jaipur Metal & Nearby area)	विचार विमर्श पश्चात एजेण्डा में अंकित दर 29 प्रतिशत above (PWD BSR-2012) पर मैसर्स लालचन्द तिवाड़ी के पक्ष में उक्त कार्य के लिए राशि रुपये 3,32,65,054.00 का कायदेश बिना किसी शर्त पर जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि मानसून के दौरान (लगभग तीन माह) खुदाई का कार्य नहीं किया जाए।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
16	184.16	अपील सं. 55/2011 राजगोपाल बनाम जविप्रा व अन्य सम्भागीय आयुक्त जयपुर न्यायालय में श्री नरेन्द्र पारीक, जविप्रा अभिभाषक द्वारा रिव्यू प्रकरण में बिल न0 605 दिनांक 04.03.13 द्वारा मांगी गई पैरवी फीस रु. 2,200/- के निर्धारण एवं स्वीकृति के संबन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि सभी रिव्यू प्रकरणों में अभिभाषक को देय निर्धारित फीस की आधी राशि रिव्यू प्रकरण की फीस बाबत भुगतान किया जावे।	निदेशक (विधि)
17.	184.17	नागरिक सेवा केन्द्र के माध्यम से विक्रय की जाने वाली भवन मानचित्रों के अनुमोदन/स्वीकृति हेतु विक्रय की जाने वाली ग्रीन फाईल का विक्रय मूल्य रु.100/- से बढ़ाकर रु. 150/- प्रति फाईल किये जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात नागरिक सेवा केन्द्र के माध्यम से विक्रय की जाने वाली भवन मानचित्रों के अनुमोदन/स्वीकृति हेतु विक्रय की जाने वाली ग्रीन फाईल का विक्रय मूल्य रु.100/- से बढ़ाकर रु. 150/- प्रति फाईल किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।	उपायुक्त (स्टोर)

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

18.	184.18	Const. of drain and other related works under master drainage plan of Jaipur city (MI Road. Panch Batti side area ) Part D 9 (Singhdwara & Nearby area)	विचार विमर्श पश्चात सिंगल बिडर मैसर्स मीरा कन्सट्रक्शन कम्पनी द्वारा उक्त कार्य के लिए दी गयी दर 48.84 प्रतिशत above (PWD BSR-2012) अधिक होने के कारण एजेन्सी से नेगोशियेशन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि अधिशाषी अभियंता (ड्रेनेज) द्वारा नेगोशियेशन पत्र कार्यवाही विवरण की प्रतीक्षा किये बिना ही अविलम्ब जारी किया जाये।	निदेशक अभियान्त्रिकी (द्वितीय)
19	184.19	Agenda regarding approval of tender for the work of " <b>Renewal of Internal &amp; main Roads in Sector -46 in Zone-6 area, JDA, jaipur</b> ".	विचार विमर्श पश्चात एजेण्डा में अंकित दर 16.86 प्रतिशत above (PWD BSR-2012) पर मैसर्स मदनलाल रामेश्वर लाल के पक्ष में उक्त कार्य के लिए राशि रुपये 5,84,05,743.00 का कायदिश बिना किसी शर्त पर जारी करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियान्त्रिकी (द्वितीय)
20	184.20	भूखण्ड सं. 882 रोहिणी नगर तृतीय का नियमितिकरण करने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात भूखण्ड सं. 882 रोहिणी नगर तृतीय की नजराना राशि आवंटी द्वारा 33 दिवस विलम्ब से जमा करायी गयी जिस पर देय ब्याज एवं पेन्लटी राशि आवंटी ने 794 दिवस विलम्ब से जमा करायी गयी अतः मांग राशि जमा कराने में 2 वर्ष से अधिक विलम्ब होने के कारण प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-14
21.	184.21	भूखण्ड सख्या ए-7 योजना सुमेल की निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं कराने के कारण निरस्त की श्रेणी के भूखण्ड का नियमन करने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात भूखण्ड सख्या ए-7 योजना सुमेल की नजराना राशि आवंटी द्वारा किश्तो में दो वर्ष की अधिक की अवधि में जमा करायी गयी है, अतः विलम्ब से जमा करायी गयी नजराना राशि पर ब्याज एवं पेनल्टी लेने बाबत प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-10
22.	184.22	Const. of drain and other related works under master drainage plan of Jaipur city (MI Road. Panch Batti side area ) part D7 (Ramniwas Garden, Ashok Marg & Near by Area)	सिगल बिडर मैसर्स मीरा कन्सट्रक्शन कम्पनी द्वारा उक्त कार्य के लिए 35.88 प्रतिशत above (PWD BSR-2012) दर दी गयी है। विचार विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि यद्यपि एजेन्सी द्वारा दी गई दर बाजार दर विश्लेषण से कम है किन्तु वर्तमान में चल रहे समान प्रकृति	निदेशक अभियान्त्रिकी (द्वितीय)

सचिव,

द्वयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

5/12

			के कार्यों से अधिक होने के कारण एजेन्सी से नेगोशियेशन कर कम दर प्राप्त किये जाने के प्रयास किये जाए। यदि नेगोशियेशन उपरान्त एजेन्सी द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक एवं उचित दर दी जाती है तो निविदा अनुमोदन के लिए कार्यकारी समिति द्वारा जयपुर विकास आयुक्त को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि अधिशाषी अभियंता (ड्रेनेज) द्वारा नेगोशियेशन पत्र कार्यवाही विवरण की प्रतीक्षा किये बिना ही अविलम्ब जारी किया जाये एवं नेगोशियेशन के पश्चात स्वीकृति प्राप्त होती है तो कार्य को मानसून के दौरान (लगभग तीन माह) खुदाई का कार्य नहीं किया जाए।	
23	184.23	Const. of drain and other related works under master drainage plan of Jaipur city (Trimurti Circle, NS Circle, Rambsgh & Lalkothi to Ganda Nallah) part B5 (Trimurti Circle to Ganda Nallah )	सिन्गल बिडर मैसर्स मीरा कन्सट्रक्शन कम्पनी द्वारा उक्त कार्य के लिए 35.88 प्रतिशत above (PWD BSR-2012) दर दी गयी है। विचार विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि यद्यपि एजेन्सी द्वारा दी गई दर बाजार दर विश्लेषण से कम है किन्तु वर्तमान में चल रहे समान प्रकृति के कार्यों से अधिक होने के कारण एजेन्सी से नेगोशियेशन कर कम दर प्राप्त किये जाने के प्रयास किये जाए। यदि नेगोशियेशन उपरान्त एजेन्सी द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक एवं उचित दर दी जाती है तो निविदा अनुमोदन के लिए कार्यकारी समिति द्वारा जयपुर विकास आयुक्त को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि अधिशाषी अभियंता (ड्रेनेज) द्वारा नेगोशियेशन पत्र कार्यवाही विवरण की प्रतीक्षा किये बिना ही अविलम्ब जारी किया जाये एवं नेगोशियेशन के पश्चात स्वीकृति प्राप्त होती है तो कार्य को मानसून के दौरान (लगभग तीन माह) खुदाई का कार्य नहीं किया जाए।	निदेशक अभियान्त्रिकी (द्वितीय)
24.	184.24	श्री रमाकान्त सारोलिया, लेखाकार (प्रतिनियुक्ति पर) की पत्नी श्रीमती राखी जोशी का जयपुर फाउण्डेशन एण्ड असोपलोव आई हॉस्पिटल, जयपुर के नेत्र चिकित्सक की सलाह अनुसार रेटीना फाउण्डेशन एण्ड असोपलोव आई हॉस्पिटल,	विचार विमर्श पश्चात श्री रमाकान्त सारोलिया, लेखाकार (प्रतिनियुक्ति पर) की पत्नी श्रीमती राखी जोशी का जयपुर फाउण्डेशन एण्ड असोपलोव आई हॉस्पिटल, जयपुर के नेत्र चिकित्सक की सलाह अनुसार रेटीना फाउण्डेशन	अति. आयुक्त (प्रशासन)




सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

5/13

		अहमदाबाद में कराये गये ईलाज की एवं चिकित्सा पर व्यय हुई राशि के पुनर्भरण बाबत।	एण्ड असोपलव आई हॉस्पिटल, अहमदाबाद में कराये गये ईलाज की एवं चिकित्सा पर व्यय हुई कुल राशि रूपये 73376/- के नियमानुसार पुनर्भरण की स्वीकृति प्रदान की गयी।	
25.	184.25	Const. of drain and other related works under master drainage plan of Jaipur city (Trimurti Circle, NS Circle, Rambagh & Lalkothi to Ganda Nallah) part B6 (Narayan Singh Circle to Lalkothi to Ganda Nallah )	सिंगल बिडर मैसर्स मीरा कन्सट्रक्शन कम्पनी द्वारा उक्त कार्य के लिए 35.88 प्रतिशत above (PWD BSR-2012) दर दी गयी है। विचार विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि यद्यपि एजेन्सी द्वारा दी गई दर बाजार दर विश्लेषण से कम है किन्तु वर्तमान में चल रहे समान प्रकृति के कार्यों से अधिक होने के कारण एजेन्सी से नेगोशियेशन कर कम दर प्राप्त किये जाने के प्रयास किये जाए। यदि नेगोशियेशन उपरान्त एजेन्सी द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक एवं उचित दर दी जाती है तो निविदा अनुमोदन के लिए कार्यकारी समिति द्वारा जयपुर विकास आयुक्त को अधिकृत करने करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि अधिशाषी अभियंता (ड्रेनेज) द्वारा नेगोशियेशन पत्र कार्यवाही विवरण की प्रतीक्षा किये बिना ही अविलम्ब जारी किया जाये एवं नेगोशियेशन के पश्चात स्वीकृति प्राप्त होती है तो कार्य को मानसून के दौरान (लगभग तीन माह) खुदाई का कार्य नहीं किया जाए।	निदेशक अभियान्त्रिकी (द्वितीय)
26.	184.26	Const. of drain and other related works under master drainage plan of Jaipur city (MI Road, Panch Batti side area ) ( Tonk Road, MI road Ramniwas Garden side area) part D8: MI Road, Ghat Gate to Panch batti	सिंगल बिडर मैसर्स मीरा कन्सट्रक्शन कम्पनी द्वारा उक्त कार्य के लिए 35.88 प्रतिशत above (PWD BSR-2012) दर दी गयी है। विचार विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि यद्यपि एजेन्सी द्वारा दी गई दर बाजार दर विश्लेषण से कम है किन्तु वर्तमान में चल रहे समान प्रकृति के कार्यों से अधिक होने के कारण एजेन्सी से नेगोशियेशन कर कम दर प्राप्त किये जाने के प्रयास किये जाए। यदि नेगोशियेशन उपरान्त एजेन्सी द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक एवं उचित दर दी जाती है तो निविदा अनुमोदन के लिए कार्यकारी समिति द्वारा जयपुर विकास आयुक्त को अधिकृत करने करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि अधिशाषी अभियंता	निदेशक अभियान्त्रिकी (द्वितीय)

  
सचिव,

105

			(डिनेज) द्वारा नेगोशियेशन पत्र कार्यवाही विवरण की प्रतीक्षा किये बिना ही अविलम्ब जारी किया जाये एवं नेगोशियेशन के पश्चात स्वीकृति प्राप्त होती है तो कार्य को मानसून के दौरान (लगभग तीन माह) खुदाई का कार्य नहीं किया जाए।	
27	184.27	सन्त रैदास नगर योजना ग्राम डाबला बुजूर्ग तह. फागी जिला जयपुर में अम्बेडकर शू-चप्पल मेकर्स विकास समिति के सदस्यों को नीचे दुकान ऊपर मकान का आवंटन किये जाने हेतु आरक्षित दर निर्धारित बाबत।	विचार विमर्श पश्चात सन्त रैदास नगर योजना ग्राम डाबला बुजूर्ग तह. फागी जिला जयपुर में अम्बेडकर शू-चप्पल मेकर्स विकास समिति के सदस्यों को नीचे दुकान ऊपर मकान का आवंटन किये जाने हेतु आरक्षित दर राशि एजेण्डा में दिये गये प्रस्ताव अनुसार रुपये 9950/- प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।	उपायुक्त जोन-14
<b>अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)</b>				
28	184.28	Widening and strengthening of road from NH-8 to Jaipur Terminal MDPL of HPCL in Zone-11, JDA, jaipur	कार्यकारी समिति में निविदा अनुमोदन हेतु विचार विमर्श करने के पश्चात मैसर्स हरदयाल कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0 के पक्ष न्यूनतम दर 6.89 प्रतिशत अधिक BSR 2012 पर कुल राशि रुपये 3,03,20,831.00 हेतु निविदा स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से जारी होने की प्रत्याशा (anticipation) में कायदेशि शीघ्र जारी करने की अनुमति प्रदान की गई।	निदेशक अभियान्त्रिकी (प्रथम)
29.	184.29	Approval of Tender for the work " Development of 55 Mtr. wide Road from sector 1 to petrol pump circle sector 9 in Vidhyadhar Nagar jaipur "	विचार विमर्श पश्चात एजेण्डा में अंकित दर 9.99 प्रतिशत above (PWD BSR-2012) पर मैसर्स गुप्ता के.एन. कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में उक्त कार्य के लिए राशि रुपये 7,57,26,880.00 का कायदेशि बिना किसी शर्त पर जारी करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियान्त्रिकी (द्वितीय)
30.	184.30	Bituminous work in Internal road in SEZ Rehabilitation Scheme Village Paldi Parsa (Phase-I) Zone-15, JDA, jaipur	कार्यकारी समिति में निविदा अनुमोदन हेतु विचार विमर्श करने के पश्चात मैसर्स गिठाला कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में न्यूनतम दर 0.89 प्रतिशत अधिक BSR 2012 पर कुल राशि रुपये 3,36.74,200.00 हेतु निविदा स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से जारी होने की प्रत्याशा	निदेशक अभियान्त्रिकी (प्रथम)

  
सचिव,



			(anticipation) में कायदेशि शीघ्र जारी करने की अनुमति प्रदान की गई।	
31.	184.31	Agenda Regarding Approval of Tender for the work "Improvement of Road junctions by cement concrete (RMC) in the area under Maintenance Cells, JDA, jaipur. (Rate Contract)"	विचार विमर्श पश्चात एजेण्डा में अंकित दर 3.33 प्रतिशत above (PWD BSR-2012) पर मैसर्स गुप्ता के.एन. कन्सट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में उक्त कार्य के लिए राशि रूपये 3,87,93,699.00 का स्वीकृति पत्र (दर संविदा) बिना किसी शर्त पर जारी करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियान्त्रिकी (द्वितीय)
32.	184.32	Widening and Renewal of roads in K-5C Colony, Sector- 13&14 Zone-7, JDA jaipur	विचार विमर्श पश्चात एजेण्डा में अंकित दर 26.10 प्रतिशत above (PWD BSR-2012) पर मैसर्स के.डी.शर्मा के पक्ष में उक्त कार्य के लिए राशि रूपये 88,12,475.00 का कायदेशि बिना किसी शर्त पर जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि निविदा की वैधता अवधि दिनांक 14.02.2013 को समाप्त हाने के कारण अधिशाषी अभियंता-7 द्वारा कार्य का कायदेशि कार्यवाही विवरण की प्रतीक्षा किये बिना अविलम्ब जारी किया जाए।	निदेशक अभियान्त्रिकी (द्वितीय)
33.	184.33	सेवा भारती राजस्थान जयपुर को संस्थागत उपयोग हेतु क्षेत्रफल 1386 व.ग. भूमि की जविप्रा द्वारा जारी लीज डीड दिनांक 17.02.2006 की शर्त संख्या-7 (जो भवन निर्माण अवधि से सम्बन्धित है) में शिथिलता दिये जाने के क्रम में।	विचार विमर्श पश्चात सेवा भारती राजस्थान जयपुर को संस्थागत उपयोग हेतु क्षेत्रफल 1386 व.ग. भूमि की जविप्रा द्वारा जारी लीज डीड दिनांक 17.02.2006 की शर्त संख्या-7 (जो भवन निर्माण अवधि से सम्बन्धित है) में दो वर्ष की शिथिलता प्रदान करते हुये प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-3

(पवन अरोड़ा)

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

9/15

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 184वीं बैठक दिनांक 12.02.2014 को सांयकाल 04.30 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंडन' में श्री शिखर अग्रवाल, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1.	श्री शिखर अग्रवाल	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोड़ा	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
3.	श्री ललित शर्मा	निदेशक (अभियांत्रिकी-द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
4.	श्री राकेश शर्मा	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5.	श्रीमति लवंग शर्मा	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6.	श्री विक्रम प्रकाश शर्मा	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7.	श्री अशोक कुमार बंसल	अधीक्षण अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
8.	श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत	संयुक्त शासन सचिव (तृतीय)	नगरीय विकास विभाग, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
9.	श्री एस. के. गोयल	मुख्य अभियन्ता (रिपेयरिंग)	जयपुर नगर निगम, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
10.	श्री एस.एस. उदावत	ए.डी.एम. (सिटी-सी)	कलेक्ट्रेट, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
11.	श्री के.पी. सिंह	ए.सी.पी. (पुलिस लाईन)	पुलिस अधीक्षक, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
<b>अन्य अधिकारी उपस्थित</b>				
12.	श्रीमति नलिनी कठेतिया	अति. आयुक्त (भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13.	श्री त्रिभुवनपति	अति. आयुक्त (पूर्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14.	श्री अनिल अग्रवाल	अति. आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15.	श्री एस. मित्रा	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम्स मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16.	श्री मदन लाल चौधरी	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17.	श्री अरविन्द आर्य	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता- द्वितीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18.	श्री बी.डी. शर्मा	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता- चतुर्थ	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19.	श्री मनोज कुमार सोनी	अधीक्षण अभियन्ता- द्वितीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20.	श्री मकसुद अहम्मद	अधीक्षण अभियन्ता- तृतीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21.	श्री अजय गर्ग	अधीक्षण अभियन्ता -IX	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22.	श्री देवेन्द्र गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
23.	श्री रामप्रसाद	अधीक्षण अभियन्ता -ग्रामीण	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
24.	श्री वी.एल. जाटव	अधीक्षण अभियन्ता -7	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
25.	श्री वेदप्रकाश वर्मा	अधीक्षण अभियन्ता -8	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
26.	श्री अरुण शर्मा	अधिशायी अभियन्ता-पूर्व	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
27.	श्री रामवतार गुर्जर	उपायुक्त जोन-3	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
28.	श्रीमती ममता राय	उपायुक्त जोन-10	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
29.	श्री एस.एस. सिसोदिया	उपायुक्त जोन-13	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
30.	श्री अवदेश सिंह	उपायुक्त जोन-14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
31.	श्रीमती कशमी कौर	उपायुक्त जोन-14ए	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

(पवन अरोड़ा)

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

5/17

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कमांक प-2(ई.सी.184)/जविप्रा/जे.सी. (एस.एम.)/2014/डी- 207  
प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

दिनांक: 14/2/14

क.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
3	अतिरिक्त मुख्य सचिव (नगरीय विकास)	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4	महापौर	जयपुर नगर निगम।
5	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलक्टर	जिला कलेक्टर, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम/द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी./भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	सहायक निदेशक (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

  
 (पवन अरोड़ा)  
 सचिव,  
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

518